

फर्द-अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुकाम नागौर

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड, जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, पता- अभिषेक शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा, मैनेजर/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड, सुचना केन्द्र के पास, कचहरी रोड, अजमेर		1. श्री हनीफ खान पुत्र कमरुदीन खान पता -मुलतानियों का मोहल्ला,हरसौर 2. श्री कमरुदीन खान पुत्र श्री आजिम खान पता -मुलतानियों का मोहल्ला,हरसौर 3. श्री अब्दु रहमान पुत्र श्री चोंदखान पता-ईदगाह मस्जिद के पास,हरसौर,डेगान।

किस्म मुकदमा -सिक्वोरिटाईजेशन एक्ट 2002, प्रार्थना पत्र संख्या 223 सन् 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
11.11.2024	<p>प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस सहायता उपलब्ध करवाने हेतु प्रस्तुत किया है।</p> <p>प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण/ऋणी को रूपये 90,000/-ऋण सुविधा दिनांक 27.08.2021 एवम् 29,10,000/-ऋण सुविधा दिनांक 27.08.2021 को आवासीय एवं OD ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी जाकर अप्रार्थी ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज् में पट्टा नं0 2321 ग्राम हरसौर का एरियो 4446 स्केवयर फिट सम्पत्ति प्रार्थी कम्पनी के हक में बंधक किया जाना प्रकट किया है तथा इस बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु इन नियमों के तहत पुलिस इमदाद चाही है। पत्रावली के साथ प्रस्तुत ऋण आवेदन-पत्र का अवलोकन करने से उक्त आवेदन-पत्र APPLICATION FOR RETAIL AGRICULTURAL LOAN FROM HDFC BANK के लिए था यानि यह ऋण कृषि भूमि पर लिया गया है तथा किसान गोल्ड कार्ड की स्कीम के तहत दिया गया है।</p> <p>इस प्रकार प्रार्थी कम्पनी द्वारा पेश किया गया यह आवेदन-पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के तहत स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थी कम्पनी को इस सम्बन्ध में राजस्थान कृषि साख प्रचलन(कठिनाइयों का निवारण) अधिनियम 1974 एवं नियम 1976 के तहत कार्यवाही सम्बन्धित कार्यालय में पेश करनी होगी है। यह प्रार्थना-पत्र इस कार्यालय का क्षेत्राधिकार का नहीं होने से तथा इस प्रार्थना-पत्र में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधान लागू नहीं होने से प्रार्थी का यह आवेदन-पत्र खारिज योग्य है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना-पत्र प्रार्थी का खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फौसल शुमार हो।</p>	

(अरुण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
नागौर